रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

(170)

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 576] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 13, 2010/आश्विन 21, 1932

No. 576] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 13, 2010/ASVINA 21, 1932

## गृह मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2010

**सा.का.नि. 837(अ).**—पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को पंजाब राज्य में यथा प्रवृत्त पंजाब मूल्य वर्धित कर (चौथा संशोधन) अधिनियम, 2007 (2008 का पंजाब अधिनियम सं. 4) को निम्नलिखित आशोधनों के अध्यधीन, एतद्द्वारा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ तक विस्तारित करती है, अर्थात् :—

### आशोधन

1. धारा 1 की उप-धारा (1) में, "पंजाब मूल्य वर्धित कर (चौथा संशोधन) अधिनियम, 2007" शब्दों और अंकों के पश्चात् "संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ तक यथा विस्तारित" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।
2. धारा 2 में, "पंजाब मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005" शब्दों और अंकों के पश्चात् "संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ तक यथा विस्तारित" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. यू-11020/4/2010-यू टी एल]

बी. भामथी, अपर सचिव

अनुलग्नक

**पंजाब मूल्य वर्धित कर (चौथा संशोधन) अधिनियम, 2007**

**(2008 का पंजाब अधिनियम सं. 4)**

**1. संक्षिप्त नाम और इसका प्रारंभ.**—(1) इस अधिनियम का पंजाब मूल्य वर्धित कर (चौथा संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जाए ।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

**2. 2005 का पंजाब अधिनियम 8 की धारा 27 का संशोधन.**—पंजाब मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 में, धारा 27 में, उप-धारा (1) और (2) में "दो प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "चार प्रतिशत" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2010

**G.S.R. 837(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union Territory of Chandigarh, the Punjab Value Added Tax (Fourth Amendment) Act, 2007 (Punjab Act No. 4 of 2008), as in force in the State of Punjab on the date of publication of this notification, subject to the following modifications, namely :—

### MODIFICATIONS

1. In sub-section (1) of Section 1, after the words and figures "the Punjab Value Added Tax (Fourth Amendment) Act, 2007", the words "as extended to the Union Territory of Chandigarh" shall be inserted.
2. In Section 2 after the words and figures "the Punjab Value Added Tax Act, 2005" the words "as extended to the Union Territory of Chandigarh" shall be inserted.

[F. No. U-11020/4/2010-UTL]

B. BHAMATHI, Addl. Secy.

**ANNEX**

**THE PUNJAB VALUE ADDED TAX (FOURTH AMENDMENT) ACT, 2007**

**(Punjab Act No. 4 of 2008)**

**1. Short title and commencement.**—(1) This Act may be called the Punjab Value Added Tax (Fourth Amendment) Act, 2007.

(2) It shall come into force at once.

**2. Amendment of Section 27 of Punjab Act 8 of 2005.**—In the Punjab Value Added Tax Act, 2005, in Section 27, in sub-sections (1) and (2), for the words "two per cent", the words "four per cent" shall be substituted.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.